कार्यालय :- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।
आदेश क्रमांक :- स्टैनो 2001/563-93 दिनांक :- 5-11-01

श्रीमति सुगनी देवी आर्य प्राईमेरी स्कूल, लाडवा, (कुरुक्षेत्र) को कक्षा पहली से पांचवी तक प्राथमिक विभाग की स्थायी मान्यता निम्न शर्तों के आधार पर पत्र जारी करने की तिथि से प्रदान की जाती है :-

1. यह कि संस्था शिक्षा विभाग से किसी भी पद की स्वीकृति तथा सहायता (ग्रांट) की मांग नहीं करेगी । संस्था अपने खर्च पर स्कूल चलाएगी ।

2. यह कि संस्था निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय के लिए ट्रैंड अध्यापकों की नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से शीघ्र करके इस कार्यालय को सूचित करेगी ।

3. यह कि संस्था एजूकेशन कोड की धारा 214 से 237 तक निहित सभी शर्तों के अनुसार रिकार्ड पूर्ण करके सूचित करेगी अन्यथा किसी निरीक्षक के समय किसी शर्त पर कोताही पाई गई तो स्थायी मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

4. यह कि संस्था समय-2 पर विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना करेगी तथा निर्धारित निधियों के शेयर प्रत्येक वर्ष समय-2 पर विभाग को जमा करायेगी ।

5. यह कि संस्था सी.डब्ल्यू.पी. नं. 7639/95 नवनीत कुमार बनाम हरियाणा सरकार के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करेगी ।

ह०/-
ज़िला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
कुरुक्षेत्र ।

पृ.क्र.स.प.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

1. निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (हरियाणा राज्य)
3. सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी (जिला कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत)
4. मुख्याध्यापिका, श्रीमति सुगनी देवी, आर्य प्राईमरी स्कूल, लाडवा, (कुरुक्षेत्र)
5. प्रबंधक कमेटी, श्रीमति सुगनी देवी, आर्य प्राईमरी स्कूल, लाडवा, (कुरुक्षेत्र)
6. अनुभाग अधिकारी (इसी कार्यालय में)

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
कुरुक्षेत्र ।

Gen. Secretary
Sugni Devi Arya Girls Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra) Haryana

Principal
Sugni Devi Arya Girls Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra) Haryana

Principal
Smt. Sugni Devi A.G. Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra)

Manager
Smt. Sugni Devi Arya Girls
Sen. Sec. School, Ladwa

(कार्यालय निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़)

आदेश। क्रमांक 23/102-85 वि-1(5)

दिनांक, चण्डीगढ़ 16-7-86

श्रीमती सुगनी देवी आर्य कन्या उच्च विद्यालय लाड़वा (कुरुक्षेत्र) को दिनांक 1-4-86 से छठी से दसवीं कक्षा तक स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

मन्जु गुप्ता
निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृ0क्रमांक 23/105-86 वि-1(5)
दिनांक चण्डीगढ़ 28-7-86 1/11/8/86

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य।

2- चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

3- अधीक्षक एन:एफ:सी: (स्थानीय)

4- लेखा अधिकारी विद्यालय (स्थानीय)

5- अधीक्षक आँकड़ा (स्थानीय)

6- प्रधान श्रीमती सुगनी देवी कन्या उच्च विद्यालय लाड़वा (कुरुक्षेत्र)

7- वि-1 शाखा के सहायक वि-1 तथा वि-3

25-7-86
उप अधीक्षक विद्यालय-1
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़। 3/11/8/86
317

Principal
Sugni Devi Arya Girls Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra) Haryana

Gen. Secretary
Sugni Devi Arya Girls Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra) Haryana

प्रेषक

निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. ज़िला शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी
2. ज़िला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।
3. ज़िला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला ।

यादी क्रमांक 6566,6427,7162सै. शि. (3)-4/6-90

दिनांक चण्डीगढ़

191
5/9/90

विषय: 10+2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना ।

====

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक जी-2/90-38/451 दिनांक 12.7.90, यादी क्रमांक जी-2/90-4199 दिनांक 29.6.90 तथा यादी क्रमांक जी-3/90/4004 दि. 25.7.90 के संदर्भ में ।

निम्नलिखित अराजकीय मान्यता प्राप्त उच्च विधालयों को शैक्षिक वर्ष 1990-91 से 10+2 की शिक्षा प्रणाली उनके नाम के सामने दर्शाये ग्रुपस में शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. सतीश पब्लिक हाई स्कूल, रेवाड़ी - आर्ट और कामर्स ग्रुपस
2. श्रीमती सुगनी देवी आर्या कन्या उच्च विधालय, लाडवा - आर्ट, कामर्स व विज्ञान ग्रुपस
3. हरगोलाल कन्या उच्च विधालय, अम्बाला छावनी - आर्ट और कामर्स ग्रुपस

उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित विधालय के प्रबन्धक राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार के अनुदान/वित्त सहायता की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं को सभी आवश्यक साधन/सुविधायें अपने खर्चे पर ही उपलब्ध करवायेंगे ।

2. जमा दो कक्षाओं के लिए केवल उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाये जिन्होंने सम्बन्धित विषय में एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम.की परीक्षा में कम से कम 50% या अधिक अंक प्राप्त किये हों ।

2. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ।

Gen. Secretary
Sugni Devi Arya Girls Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra) Haryana

Principal
Sugni Devi Arya Girls Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra) Haryana

3. यदि वे विज्ञान/कामर्स ग्रुप चलाना चाहते हैं तो ऐसी दशा में वे प्रयोगशालाओं का प्रबन्ध करेंगे । विज्ञान ग्रुप आरम्भ करने से पूर्व विज्ञान कक्ष/प्रयोगशालाओं का निरीक्षण सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से करवाये तथा उनके द्वारा ठीक रिपोर्ट दिये जाने पर ही आरम्भ किया जा सकेगा । इसी प्रकार कामर्स ग्रुप भी तभी शुरू किया जाये जब

5. ...ा दो स्तर पर केवल वह ही विषय अथवा ग्रुप शुरू किये जायें जिनको लर्निंग के लिए आवश्यक साधन, सुविधायें विद्यालय में उपलब्ध हों ।

27/8/90

अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा

कृते निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा

क्रमांक सम दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा...

1. सभी मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका सम्बन्धित विद्यालय ।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा, बोर्ड, भिवानी ।
3. निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुडगांवा ।
4. अधीक्षक विद्यालय-I तथा आंकड़ा शाखा (स्थानीय)
5. इन्चार्ज, मोनीटरिंग सैल (लोकल)

27/8/90

अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा

कृते निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

Principal
Sugni Devi Arya Girls Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra) Haryana

Gen. Secretary
Sugni Devi Arya Girls Sr. Sec. School
Ladwa (Kurukshetra) Haryana